प्रेषक,

संख्याः 2510/VIII/ 730–श्रम/ 02

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उत्तरांचल,हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग देहरादून दिनांकः 13 जनवरी–2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु आयोजनागत पक्ष में श्रम विभाग के प्रवर्तन का विकेन्द्रीयकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत मानक मद संख्या–42–अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि का आंबटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2600/बजट–15/मु0/2004 दिनांक 09,सितम्बर–2004 एवं पत्र संख्या : 3469–70/बजट–15/मु0/2004 दिनांक 10,दिसम्बर–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आयोजनागत पक्ष के अर्न्तगत श्रम विभाग के प्रवर्तन का विकेन्द्रीयकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत मानक मद संख्या–42 अन्य व्यय में प्राविधानित कुल धनराशि रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि के व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृति की जा रही है, कि इकोनोमी मदों में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा,जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

3– उपरोक्त धनराशि आपके प्रस्तावानुसार प्रदेश में नवसृजित जनपदों में सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यालयों हेतु आवश्यक साजसज्जा/उपकरणों के क्रय में व्यय हेतु किया जायेगा ।उपकरणों के क्रय में स्टोर परचेज रूल्स,डीजीएसएण्डडी,टेन्डर/कोटेशन आदि के नवीनतम शासनादेशों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जायेगा ।

4– जिस कार्यालय में जो फर्नीचर/साजसज्जा/उपकरण उपलब्ध हैं व सही हैं, उनमें उक्त मद से उपकरणों का क्रय नहीं किया जायेगा, और यदि पुराने उपकरण निष्प्रयोज्य घोषित करने योग्य हैं, तो उनके निष्प्रयोज्यता की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही नए उपकरण/साजसज्जा आदि का क्रय किया जायेगा । जनपदवार/कार्यालयवार आंबटन श्रमायुक्त द्वारा किया जायेगा ।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या– 16 मुख्य लेखाशीर्षक– 2230– श्रम तथा रोजगार, 01–श्रम,आयोजनेत्तर 103–सामान्य श्रम कल्याण 07–श्रम विभाग के प्रवर्तन का विकेन्द्रीयकरण एवं सुद्धढीकरण –00 42–अन्य व्यय के अर्न्तगत् सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा। यह आंबटन आहरण–वितरण अधिकारियों के अधीन समस्त कार्यालयों के लिये किया जा रहा है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0 1650/वि0अनु0–3/ 04, दिनांकः 10, जनवरी–2005, के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2510(1)/ VIII / 730–श्रम/ 2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी।
3. वित्त अनुभाग– 3
4. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल ।
5. एन0आई0सी0 उत्तरांचल शासन ।
6. श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त (बजट) उत्तरांचल शासन ।
7. नियोजन–विभाग ।
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।